अ.शा.परिपत्र संख्या:डीजी- 75 /2013

देवराज नागर,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक: दिसम्बर 31 , 2013

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया पूर्व में निर्गत इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-32/2013 दिनाँक 01-07-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद में गठित क्राइम ब्रान्च के द्वारा चिन्हित अपराधों की विवेचनाएँ संपादित किये जाने के निर्देश दिये गये थे ।

इस परिपत्र में दिये गये निर्देशों के कियान्वयन के अनुभव व अधिकारियों से विचार-विमर्श के उपरान्त उपरोक्त परिपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जा सकता है:-

(i) निम्न अपराध के होने पर विवेचना तत्काल क्राइम ब्रान्च द्वारा ग्रहण की जायेगी:-

- वे सभी हत्याएँ जिनमें मृतक की शिनाख्त न हुयी हो।
- सभी अज्ञात बलात्कार।
- फिरौती हेतु अपहरण ।
- लूट/डकैती की वे सभी प्रकरण जिनमें माल से भरा ट्क लूटा गया हो अथवा ट्क से माल लूटा गया हो।
- 50 लाख से अधिक के आर्थिक धोखाधड़ी के अपराध।
- मनीलाड्रिंग के अपराध।
- FICN (जाली मुद्रा) के अपराध
- आई0टी0 एक्ट के समस्त अपराध।

उपरोक्त श्रेणी के अपराध के होने पर सम्बन्धित थाने के अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे तत्काल मौके पर पहुँचकर घटना स्थल को सुरक्षित करेगें तथा तत्काल क्राइम ब्रान्च को सूचित करेंगे। क्राइम ब्रान्च व फोरेन्सिक टीम शीघ्रातिशीघ्र मौके पर पहुँचकर विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संग्रहण प्रारम्भ करेंगी। जब तक फोरेन्सिक टीम व क्राइम ब्रान्च के लोग मौके पर नहीं पहूँचते, तब तक घटनास्थल व साक्ष्यों के साथ कोई छेडछाड़ न हो तथा क्राइम सीन को सुरक्षित रखने का दायित्व थाना पुलिस का होगा।

(ii) उपरोक्त अभियोगों के अतिरिक्त जनपदीय पुलिय अधीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक के अनुमोदन के उपरान्त क्राइम ब्रान्च को विवेचना स्थानान्तरित कर सकते है, परन्तु यह विवेचनाएँ केवल निम्नलिखित कारणों से ही क्राइम ब्रान्च को दी जायेगी:-

- अर्न्तजनपदीय अथवा अर्न्तराज्जीय अथवा संगठित अपराध।
- गम्भीर व सनसनीखेज हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती या चोरी।
- ऐसे प्रकरण जिसमे अभियुक्त नामजद हो, परन्तु उसकी संलिप्तता पर प्रश्न चिन्ह हो।
- ऐसी विवेचनाएँ जो थानाध्यक्ष के प्रयास के उपरान्त भी 30 दिवस के अन्दर वर्कआऊट न हुई हों । परन्तु प्रत्येक ऐसे प्रकरण में प्रारम्भिक जॉच आदेशित की जायेगी और गुण-दोष के आधार पर थानाध्यक्ष के विरूद्ध अवश्य कार्यवाही की जाएगी ।

(iii) जिन अभियोगों की विवेचनाएँ क्राइम ब्रान्च से करायी जाएँ, उन विवेचनाओं में थानाध्यक्ष इसमें सहविवेचक के रूप में सम्मिलित किये जाये ।इस प्रकार अज्ञात अभिभोग के अनावरण के लिए थानाध्यक्ष जिम्मेदार रहेंगें । अपराध के अनावरण न होने की दशा में उन पर कार्यवाही की जाऐगी । थानाध्यक्ष द्वारा तहरीर गिरफतारी पर अभियुक्त की गिरफ्तारी, एन0बी0डब्लू0 प्राप्त होने पर गिरफ्तारी, कुर्की की कार्यवाही, गिरफ्तारी हेतु दविश की कार्यवाही, इत्यादि की जायेगी । थानाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त सभी कार्यवाही से सम्बन्धित केशडायरी किता की जायेगी, जो कि क्राइम ब्रान्च के विवेचक द्वारा किता की गयी केश डायरी का भाग बनेंगी । यदि संदिग्ध व्यक्तियों की पूछताँछ की कार्यवाही भी थानाध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो उससे सम्बन्धित केशडायरी भी इन्हीं के द्वारा लिखी जायेगी।

(iv) वैज्ञानिक विवेचना हेतु यह अनिवार्य होगा कि 25 लाख से अधिक की चोरी और 10 लाख से अधिक की लूट/डकैती तथा ऐसी डकैती जिसमें हत्या भी हुई हो, उसमें क्राइम ब्रान्च की फोरेन्सिक टीम घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन अविलम्ब करें।

(v) क्राइम ब्रान्च की विवेचना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य होगा कि जनपदीय पुलिस अधीक्षकों द्वारा माह में एक बार क्राइम ब्रान्च की लम्बित विवेचनाएँ तथा परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों द्वारा तीन माह में एक बार अर्दलीरूम किया जायेगा।

(vi) क्राइम ब्रान्च के विवेचना शाखा में जी0डी0 रखी जायेगी ।

(vii) क्राइम ब्रान्च के विवेचक को थानाध्यक्ष का दर्जा दिया जाता है ।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा ।

भवदीय,

31-12-13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

/प्रभारी जनपद,उ0प्र0।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स/रेलवेज,उ0प्र0।

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवेज,उ0प्र0,